दिनांक 05.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कृष्णानगर</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.01.2025 को थाना कृष्णानगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगाखेडा अण्डर पास के पास से 03 अभियुक्तों 1–अमन 2–सिराजुद्दीन 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.12.2024 को थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्ता के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अमन निवासी काजीपुरा वसीरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच, हालपता काशीराम कॉलोनी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।

2–सिराजुद्दीन निवासी काजीपुरा वसीरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच, हालपता काशीराम कॉलोनी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।

3–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के सोने के आभूषण।

2–नगद रूपये।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शामली/थाना गढ़ीपुख्ता

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के ट्रांसफार्मर उपकरण व आयल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि बरामद**

दिनांक 05.01.2025 को थाना गढ़ीपुख्ता व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–मोहम्मद उर्फ आशु उर्फ ढ़ोला 2–साजिद 3–हसीन 4–आकिब 5–समीर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के ट्रांसफार्मर उपकरण व आयल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.12.2024 को थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रांसफार्मर उपकरण व आयल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहम्मद उर्फ आशु उर्फ ढ़ोला निवासी मोहल्ला करली कस्बा सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।

2—साजिद निवासी अशोकविहार, 30 फुटा रोड लोनी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3—हसीन निवासी मोहल्ला रामपुरी कस्बा व थाना दौराला जनपद मेरठ।

4—आकिब निवासी ग्राम लावड थाना इंचौली जनपद मेरठ।

5—समीर निवासी अशोकविहार, 30 फुटा रोड लोनी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—भारी मात्रा में चोरी के ट्रांसफार्मर उपकरण व आयल।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 04.01.2025 को थाना कोतवाली सदर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निराला नगर तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1—पंकज 2—अरमान 3—आयुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज निवासी सिंगरौसी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

2—अरमान निवासी नेता जी नगर थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

3—आयुष निवासी ग्राम कूड़ेभार थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर, हालपता शिव कटरा काजी खेड़ा थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार, उसके कब्जे से 528 जिन्दा कछुए बरामद

दि0—05—01—2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को इटावा में प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्तरी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 528 जिन्दा कछुए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

गिरेन्द्र सिंह उर्फ गौरव शाक्य पुत्र रामसेवक निवासी नगला जैंनखा, पोस्ट दिलीपपुर कलेई, थाना विछवा, तहसील कुरावली, जनपद मैनपुरी। उम्र लगभग 32 वर्ष।

बरामदगीः—

1— 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग

2— 01 अदद आधार कार्ड

3— 01 अदद एटीएम कार्ड

4— 01 ड्राईविंग लाइसेन्स

5— 01 ट्रक WB27 1371

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 05.01.2025 समय करीब 04:30AM बजे बेवर इटावा मार्ग कर्री पुलिया से 02 किमी0 इटावा की ओर।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्जीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/ टीमों को अभिसूचना संकलन एवं

कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एस0टी0एफ फील्ड इकाई, कानपुर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं को इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, से इक्ठठा करके ट्रक में लोड करके इटावा से पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं। इसी क्रम में उ0नि0 विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताई गयी सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम को अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति ट्रक से जिसमे कुछ सामान लदा हुआ है सामान के बीच कई बोरो में कछुए लिये मैनपुरी से इटावा की ओर जा रहे है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर द्वारा वन क्षेत्राधिकारी रेंज इटावा से समन्वय स्थापित कर मुखबिर की निशादेही पर दि0–05–01–2025 को समय लगभग सूबह 04:30 बजे बेवर इटावा मार्ग कर्री पुलिया के पास इटावा की ओर एक ट्रक WB27 1371 से एक व्यक्ति को मय ट्रक के गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 17 बोरो में 528 जिन्दा प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह ट्रक चलाता है। नोयडा से त्रिवेणी कम्पनी का इलैक्ट्रिक सामान ट्रक में लोड करके पश्चिम बंगाल जा रहा था। रास्ते में उसकी बात गजेन्द्र कंजड निवासी मुस्तफाबाद शिकोहाबाद के माध्यम से मनोज व धर्मेन्द्र से हुई। ये सभी लोग कछुओ की तस्करी का काम करते हैं। गजेन्द्र उपरोक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल जा रहे हो तो मेरे कछुओ की बोरी लेते जाओ, जिसका वह 60000/– रूपये भाडा देगा। जिसमें 25000/– रूपये गजेन्द्र ने उसके खाते में डाल दिये थे। बाकी का भाड़ा पश्चिम बंगाल में मिलता। कछुओ की 17 बोरी ट्रक में पूर्व से लदे सामान के बीच लोड करके कुरावली मैनपुरी से पश्चिम बंगाल के लिये निकल रहा था।

गजेन्द्र कंजड़ निवासी उपरोक्त, मनोज व धर्मेन्द्र की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2, (16ख) 9, 39, 48, 498, 50, 51, 57 व भा0 वन अधि0 की धारा 52क, के अर्न्तगत क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा रेंज वन प्रभाग, इटावा के सुपुर्द किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा रेंज वन प्रभाग, द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0–थाना मानपाड़ा डोंबिवली, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–1349/2024 धारा 64(2)(आई), 64(2)(एम), 123, 79, 351(2) बी0एन0एस0 व 4/6/12 पाक्सो एक्ट–2012 में वांछित अभियुक्त जनपद सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार।

दिनांक 04–01–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना मानपाड़ा डोंबिवली, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–1349/2024 धारा 64(2)(आई), 64(2)(एम), 123, 79, 351(2) बी0एन0एस0 व 4/6/12 पाक्सो एक्ट–2012 में वांछित अभियुक्त को जनपद सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

1– संदीप कुमार पुत्र बालजी निवासी मरवटिया कुर्मी, थाना कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

ग्राम मरवटिया कुर्मी, थाना कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 04.01.2025 समय लगभग 19:35 बजे।

थाना मानपाड़ा डोंबिवली, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–1349/2024 धारा 64(2)(आई), 64(2)(एम), 123, 79, 351(2) बी0एन0एस0 व 4/6/12 पाक्सो एक्ट–2012 से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप कुमार की गिरफ्तारी हेतु महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया, जिसपर पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही के पर्यवेक्षण में श्री सत्य प्रकाश सिंह निरीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 04–01–2025 को श्री सत्य प्रकाश सिंह निरीक्षक, मु0आ0 चन्द्रभूषण सिंह, मु0आ0 गुंजन कुमार सिंह, मु0आ0 गौरव प्रताप सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर एवं पीएसआई गणेश भावड़ थाना मानपाड़ा डोंबिवली, थाणे शहर, महाराष्ट्र पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना मानपाड़ा डोंबिवली, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0–1349/2024 धारा 64(2)(आई), 64(2)(एम), 123, 79, 351(2) बी0एन0एस0 व 4/6/12 पाक्सो एक्ट–2012 से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप कुमार ग्राम मरवटिया कुर्मी में मौजूद हैं, यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त को उक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया।

विस्तृत पूछताछ एवं विवेचनात्मक कार्यवाही थाना मानपाड़ा डोंबिवली, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर में दाखिल किया गया। ट्रॉजिट रिमाण्ड एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मानपाड़ा डोंबिवली, जिला थाणे शहर, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————